अध्याय 7

प्रकीर्ण

1989 के अधिनियम 13 में नई धारा 46ख और धारा 46ग का अंतःस्थापन।

158. वित्त अधिनियम, 1989 की धारा 46क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

अंतर्देशीय वायु यात्रा कर का केन्द्रीय सरकार के खाते में संदाय करने में असफलता के लिए शास्ति।

"46ख. यदि कोई वाहक धारा 42 के उपबंधों के अधीन अपेक्षा किए गए अनुसार उसके द्वारा संगृहीत अंतर्देशीय वायु यात्रा कर का केन्द्रीय सरकार के खाते में संदाय करने में असफल रहता है, तो वह ऐसी अवधि के जो तीन मास से कम नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, कठोर कारावास से और जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

कंपनियों द्वारा अपराध।

46ग. (1) जहां धारा 46ख के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो, उस समय, जब अपराध कारित किया गया था, कंपनी का सीधे भारसाधक था या कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही कंपनी, उस अपराध के लिए दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के लिए दायी होंगेः

परंतु इस उपधारा की कोई बात, किसी ऐसे व्यक्ति को उक्त धारा में उपबंधित किसी दंड के लिए दायी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए हुए भी, जहां धारा 46ख के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उनकी ओर से किसी उपेक्षा को अभिनिश्चित करने योग्य है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने या दंडित किए जाने के लिए दायी होगा।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई फर्म या अन्य व्यष्टि संगम भी है; और

(ख) "निदेशक" से, किसी फर्म की दशा में, फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है।'।

1998 के अधिनियम 21 की दूसरी अनुसूची का संशोधन।

159. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998 की दूसरी अनुसूची में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, " एक रुपया और पचास पैसे प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

1999 के अधिनियम 27 की दूसरी अनुसूची का संशोधन ।

160. वित्त अधिनियम 1999 की दूसरी अनुसूची में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, " एक रुपया और पचास पैसे प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

2001 के अधिनियम 14 की सातवीं अनुसूची का संशोधन ।

161. वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची, तेरहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित की जाएगी और इस प्रकार किए गए संशोधनों का प्रभाव 1 मार्च, 2004 से समाप्त हो जाएगा, सिवाय उन बातों के, जो ऐसे प्रवर्तन की ऐसी समाप्ति से पूर्व की गई हों या जिनका करने से लोप किया गया हो और साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के प्रवर्तन की ऐसी समाप्ति पर इस प्रकार लागू होगी मानो इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा निरसित किया गया हो । 1897 का 10

अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा

यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खंड 121, खण्ड 126, खण्ड 127(ख), खण्ड 140, खण्ड 147, खण्ड 149, खण्ड 159, खण्ड 160 और खण्ड 161 के उपबंधों का अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन तुरंत प्रभाव होगा । 1931 का 16